

## संशोधित ई-निविदा सूचना।

पत्रांक / सोलर स्ट्रीट लाइट तथा सोलर हाई मास्ट लाइट ई-निविदा सूचना/जि0पं0वि0/2021-22, दिनांक 23 सितम्बर, 2021

दिनांक-29-09-2021 को सोलर स्ट्रीट लाइट तथा सोलर हाई मास्ट लाइट की खुलने वाली निविदायें निम्नविवरण अनुसार **Gem portal** के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु समस्त जिला पंचायतों के पंजीकृत एवं शासनादेश संख्या-05/2019/2909/33-2-2019-198 जी/2018 पंचायतीराज अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन दिनांक 16 अगस्त 2019 में वर्णित विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों, को सूचित किया जाता है कि पंचत राज्य वित्त आयोग / पन्द्रहवें वित्त आयोग, की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से जिला पंचायत, चित्रकूट द्वारा कराये जाने वाले 55 सोलर स्ट्रीट लाइट तथा सोलर हाई मास्ट लाइट लगाये जाने के कार्यों हेतु **Gem portal** के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र-ई टेण्डरिंग पोर्टल [http:// gem.gov.in](http://gem.gov.in) पर उपलब्ध है, जो ऑनलाइन पर दिनांक-25-09-2021 को अपरान्ह 2:00 बजे से उपलब्ध रहेंगे, जो आनलाइन [http// gem.gov.in](http:// gem.gov.in) पर ही **upload/download/submit** की जा सकेगी। निविदा फॉर्म शुल्क **uploaded** निविदा सूची के कालम-6 में अंकित धनराशि जिला पंचायत, चित्रकूट के आर्यावर्त बैंक शाखा, कर्मी, जनपद-चित्रकूट में खुले जिला निधि खाता संख्या-610910100014847 आई0एफ0एस0सी0कोड BKID0ARYAGB में जमा कर, जमा रसीद की स्कैन प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा सूची के कालम-5 में अंकित धरोहर धनराशि उपरोक्तानुसार खाता संख्या-610910100014847आई0एफ0एस0सी0कोड BKID0ARYAGB में जमा कर, जमा रसीद की स्कैन प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अथवा नियत धरोहर धनराशि का पृथक-2 एफ.डी.आर./एन.एस.सी./के.वी.पी. जो 'अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट' के पदनाम बन्धक होगी, भी मान्य होगी, जिसकी स्कैन प्रतियां ई-निविदा फॉर्म के साथ संलग्न की जायेंगी, निविदा मूल्य एवं नियत धरोहर धनराशि के बिना डाली गयी ई-निविदा पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। यह सूचना सरकारी वेबसाइट [www.chitrakoot.up.nic.in](http://www.chitrakoot.up.nic.in) पर उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक निविदादाता द्वारा 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र, निर्धारित प्रारूप पर एवं मान्य चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र आनलाइन स्कैन करते हुए निविदा के साथ लगाया जायेगा। न्यूनतम निविदादाता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त उ0प्र0क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अनुसार वांछित जमानत धनराशि जमा करके अनुबन्ध-पत्र लिखना होगा। कार्यों का सम्पादन उ0प्र0क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अनुसार किया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार, मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, चित्रकूट में निहित होगा। जी.एस.टी. व सेस के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेश उपरोक्त निविदाओं पर प्रभावी रहेंगे। अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों के लिए उक्त कार्यों की ई-निविदा में भाग लेने के लिए पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा उसी श्रेणी की निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा, जिस श्रेणी के लिए वह अपने विभाग में पंजीकृत है तथा उनकी निविदा न्यूनतम होने पर जिला पंचायत, चित्रकूट की नियत शर्तों के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त जिला पंचायत, चित्रकूट में ठेकदारी पंजीकरण कराने के पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नोट:- (1) ठेकेदार/फर्म जिन्हें सोलर पावर से सम्बन्धित ऐसे कार्यों का 2 करोड़ ₹0 धनराशि के कार्य का अनुभव को व NSIC एवं UPSIC में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को वरियता दी जायेगी।

(2) I.S.O 9001-2008 प्रमाण पत्र एवं विद्युत सुरक्षा लाइसेन्स (क) श्रेणी टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करने पर अधिमान दिया जायेगा।

अभियन्ता

जिला पंचायत, चित्रकूट।

(भगत सिंह)

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, चित्रकूट।


(अशोक जाटव)

अध्यक्ष,  
जिला पंचायत, चित्रकूट।

पृष्ठांक संख्या-454/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, जिला पंचायत, चित्रकूट।
- 2-मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी महोदय, जिला पंचायत, चित्रकूट चित्रकूट।
- 3-कलेक्ट्रेट विकास भवन/लो0नि0वि0/सिवाई विभाग/लघु सिवाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/तहसील/जिला पंचायत, चित्रकूट के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
- 4-अभियन्ता/वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चित्रकूट।
- 5-सम्पादक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण झांसी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञापन चित्रकूट संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान पर छोटे अक्षरों में शासकीय दर पर प्रकाशित कर जिला सूचना अधिकारी से दर प्रमाणित कराकर बिल भुगतान हेतु समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, चित्रकूट।

## कार्यालय जिला पंचायत, चित्रकूट

पत्रांक / सोलर स्ट्रीट लाइट तथा सोलर हाई मास्ट लाइट ई-निविदा सूचना/जि0प0चि0/2021-22, दिनांक 23 सितम्बर, 2021  
**संशोधित ई-निविदा सूचना।**

दिनांक-29-09-2021 को सोलर स्ट्रीट लाइट तथा सोलर हाई मास्ट लाइट की खुलने वाली निविदायें निम्नविवरण अनुसार **Gem portal** के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु समस्त जिला पंचायतों के पंजीकृत एवं शासनादेश संख्या-05/2019/2909/33-2-2019-198 जी/2018 पंचायतीराज अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन दिनांक 16 अगस्त 2019 में वर्णित विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों, को सूचित किया जाता है कि पंचत राज्य वित्त आयोग /पन्द्रहवाँ वित्त आयोग, की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से जिला पंचायत, चित्रकूट द्वारा कराये जाने वाले 55 सोलर स्ट्रीट लाइट तथा सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने वाले कार्यों हेतु **Gem portal** के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र-ई टेण्डरिंग पोर्टल [http:// gem.gov.in](http://gem.gov.in) पर उपलब्ध हैं, जो ऑनलाइन पर दिनांक-25-09-2021 को अपरान्ह 2:00 बजे से उपलब्ध रहेंगे, जो आनलाइन <http:// gem.gov.in> पर ही **upload/download/submit** की जा सकेगी। निविदा फार्म शुल्क **uploaded** निविदा सूची के कालम-6 में अंकित धनराशि जिला पंचायत, चित्रकूट के आर्यावर्त बैंक शाखा, कर्वी, जनपद-चित्रकूट में खुले जिला निधि खाता संख्या-610910100014847 आई0एफ0एस0सी0कोड BKID0ARYAGB में जमा कर, जमा रसीद की स्कैन प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा सूची के कालम-5 में अंकित धरोहर धनराशि उपरोक्तानुसार खाता संख्या-610910100014847आई0एफ0एस0सी0कोड BKID0ARYAGB में जमा कर, जमा रसीद की स्कैन प्रति निविदा के साथ साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अथवा नियत धरोहर धनराशि का पृथक-2 एफ.डी.आर./एन.एस.सी./के.वी.पी. जो 'अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट' के पदनाम बन्धक होगी, भी मान्य होगी, जिसकी स्कैन प्रतियां ई-निविदा फार्म के साथ संलग्न की जायेंगी। निविदा मूल्य एवं नियत धरोहर धनराशि के बिना डाली गयी ई-निविदा पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। यह सूचना सरकारी वेबसाइट [www.chitrakoot.up.nic.in](http://www.chitrakoot.up.nic.in) पर उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक निविदादाता द्वारा 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र, निर्धारित प्रारूप पर एवं मान्य चरित्र प्रमाण पत्र, हेसियत प्रमाण पत्र आनलाइन स्कैन करते हुए निविदा के साथ लगाया जायेगा। न्यूनतम निविदादाता को रक्षक अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त उ0प्र0क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अनुसार वांछित जमानत धनराशि जमा करके अनुबन्ध-पत्र लिखना होगा। कार्यों का सम्पादन उ0प्र0क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अनुसार किया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार, मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, चित्रकूट में निहित होगा। जी.एस.टी. व सेस के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेश उपरोक्त निविदाओं पर प्रभावी रहेंगे। अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों के लिए उक्त कार्यों की ई-निविदा में भाग लेने के लिए पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा उसी श्रेणी की निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा, जिस श्रेणी के लिए वह अपने विभाग में पंजीकृत हैं तथा उनकी निविदा न्यूनतम होने पर जिला पंचायत, चित्रकूट की नियत शर्तों के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त जिला पंचायत, चित्रकूट में ठेकेदारी पंजीकरण कराने के पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार/नग	अनुमानित लागत (रुपये में)	धरोहर धनराशि (रुपये में)	निविदा फार्म का मूल्य जी.एस.टी. सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1		3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड-मऊ के अन्तर्गत वार्ड-01 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह
2	विकास खण्ड-मऊ के अन्तर्गत वार्ड-02 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह
3	विकास खण्ड-मऊ के अन्तर्गत वार्ड-03 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह
4	विकास खण्ड-रामनगर के अन्तर्गत वार्ड-04 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह
5	विकास खण्ड-रामनगर के अन्तर्गत वार्ड-05 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह
6	विकास खण्ड-पहाडी के अन्तर्गत वार्ड-06 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह
7	विकास खण्ड-पहाडी के अन्तर्गत वार्ड-07 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह
8	विकास खण्ड-पहाडी के अन्तर्गत वार्ड-08 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह
9	विकास खण्ड-पहाडी के अन्तर्गत वार्ड-09 भाग-1 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह
10	विकास खण्ड-पहाडी के अन्तर्गत वार्ड-09 भाग-2 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह
11	विकास खण्ड-पहाडी के अन्तर्गत वार्ड-09 भाग-3 में 6 मी0 पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाइट-38	8,91,100/-	18,000/-	590	6 माह





	मी0पोल में सोलर हाई मास्ट लाइट कार्य।	लाइट -5				
54	विकास खण्ड-मानिकपुर के अन्तर्गत वार्ड-17 के भाग-1 में 9 मी0पोल में सोलर हाई मास्ट लाइट कार्य।	सोलर हाई मास्ट लाइट -5	7,14,350/-	14,500/-	590	6 माह
55	विकास खण्ड-मानिकपुर के अन्तर्गत वार्ड-17 के भाग-2 में 9 मी0पोल में सोलर हाई मास्ट लाइट कार्य।	सोलर हाई मास्ट लाइट -5	7,14,350/-	14,500/-	590	6 माह

नोट:- (1) ठेकेदार/फर्म जिन्हें सोलर पावर से सम्बंधित ऐसे कार्यों का 2 करोड़ रु0 धनराशि के कार्य का अनुभव को व NSIC एवं UPSIC में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को करियता दी जायेगी।  
(2) I.S.O 9001-2008 प्रमाण पत्र एवं विद्युत सुरक्षा लाइसेन्स (क) श्रेणी टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करने पर अधिमान दिया जायेगा।

अभियन्ता  
जिला पंचायत, चित्रकूट।

(भगत सिंह)  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, चित्रकूट।

(अशोक जाटव)  
अध्यक्ष,  
जिला पंचायत, चित्रकूट।

पृष्ठांकन संख्या-455 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, जिला पंचायत, चित्रकूट।
- 2-मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनपद-चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना अपनी वेबसाइट [www.chitrakoot.up.nic.in](http://www.chitrakoot.up.nic.in) पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 4-अभियन्ता/वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चित्रकूट को इस आशय से कि उक्त तिथि को टेण्डर खोलने की कार्यवाही सुनिश्चत कराने हेतु।
- 5-नाजिर जिला पंचायत, चित्रकूट को नोटिसबोर्ड पर चरपा कराये जाने हेतु।
- 6-उपजिलाधिकारी, कर्वी/मऊ/राजापुर एवं मानिकपुर को नोटिसबोर्ड पर चरपा कराने हेतु।
- 7-अधिशारी अभियन्ता/लोक निर्माण विभाग/सिचाई विभाग/लघु सिचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग एवं कलेक्ट्रेट/विकास भवन/तहसील-कर्वी/मऊ/मानिकपुर/राजापुर के नोटिसबोर्ड पर चरपा हेतु।
- 8- खण्ड विकास अधिकारी-कर्वी/मानिकपुर/मऊ/पहाडी/रामनगर के नोटिसबोर्ड पर चरपा हेतु।
- 9- जिला पंचायत, चित्रकूट के समस्त पंजीकृत/नवनीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।

*Bhagat Singh*  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, चित्रकूट।